

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क०नि०-२-६१३ / ग्यारह-७(१०३) / ९१-उ०प्र०अधि०-५-२००८-आदेश-(११३)-२०१४
लखनऊ, दिनांक: १२ जून, २०१४

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 13 जून, 2014 से स्तम्भ-2 में उल्लिखित वस्तुओं की उनके समुख अंकित सम्पूर्ण राज्य के लिये नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित वार्षिक संख्या की सीमा तक उत्तर प्रदेश राज्य में उनके विक्य हेतु कैटीन स्टोर्स विभाग/मिलिट्री कैटीन को विक्य अथवा उसके द्वारा क्य और विक्य के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कोई कर संदेय नहीं होगा:-

अनुसूची

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	सम्पूर्ण राज्य के लिये वार्षिक संख्या
1	2	3
01	सभी प्रकार के टेलीविजन	6900
02	रेफ्रीजरेटर्स	4200
03	एअर कन्डीशनर्स	2100
04	वाशिंग मशीन	2400
05	माइक्रोवेव ओवन	1200

शर्तें

- (एक) कमान्डिंग आफिसर की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो कि माल उत्तर प्रदेश राज्य में तैनात या निवास कर रहे भारतीय सशस्त्र बल/अन्य रक्षा अधिष्ठान के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों को विक्य के लिये तात्पर्यित है;
- (दो) किसी सेवारत या भूतपूर्व सैन्यकर्मी को ऊपर लिखित वस्तुओं की खरीद की सुविधा तीन वर्ष में केवल एक बार अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,

(एस० एन० प्रसाद)

सचिव।